कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-16.05.2024

विषय:- **थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या की घटना का महज चंद घण्टों मे सफल अनावरण, क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट वाराणसी व थाना कैण्ट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा शातिर अभियुक्त सोहराब आलम गिरफ्तार।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट/हत्या की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के नेतृत्व में कमिश्नरेट वाराणसी की क्राइम ब्रांच व थाना कैण्ट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्य व मुखबिर की सहायता से मु0अ0सं0-182/2024 धारा 302 भा0द0वि0 थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त 1- सोहराब आलम पुत्र मो0 सुलेमान निवासी-एन 13/32 ए-आर-6 सराय सुरजन बजरडीहा, थाना भेलूपुर वाराणसी को आज दिनांक-16/05/2024 को समय करीब 14.50 बजे वरूणा पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन महोदय द्वारा 15000/- रु0 इनाम की घोषणा की गयी।

घटना का विवरण- दिनांक 16.05.2024 को वादी मुकदमा मो0 कलामुद्दीन पुत्र स्व0 हाजी मो0 निजामुद्दीन खान निवासी-C 4/52 सराय गोवर्धन बेनिया थाना चेतगंज वाराणसी, हाल पता सर सैयद समिति सातो महुवा नई बस्ती Plot no-9 थाना बड़ागांव वाराणसी ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि उनका पुत्र इजहार अहमद उर्फ बाबर मकान बनाने का ठेका लेने वाले ठेकेदार के साथ सुपरवाइजर का काम करता था, जिनका काम इस समय सैल कुमारी पत्नी श्री विश्वनाथ सिंह निवासिनी एस 7/2 गोलघर कचहरी थाना कैंट जनपद वाराणसी के मकान मे चल रहा था और आज दिनांक-16.05.2024 को भोर मे करीब 04 बजे उपरोक्त मकान मे ढलाई का काम चल रहा था जहाँ पर उनका लड़का इजहार अहमद उर्फ बाबर मौजूद था, उसी दौरान कार्यस्थल पर ही विपक्षी सोहराब पुत्र सुलेमान निवासी एन 13/32 सराय सुरजन बजरडीहा, थाना भेलूपुर वाराणसी आ गया और पैसे के लेन-देन को लेकर उनके लड़के से वाद-विवाद करने लगा तथा उसी दौरान बल्ली के डंडे से उनके लड़के इजहार के सर पर कई वार करके उसकी हत्या कर दिया, जिसके आधार पर थाना कैंट मे मु0अ0सं0-182/2024 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा थाना कैण्ट वाराणसी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवरण पूछताछ - अभियुक्त सोहराब आलम ने पूछताछ करने पर बताया कि इजहार अहमद उर्फ बाबर और मैं दोनों लोग मकान बनाने का ठेका लेते हैं। बाबर का कुछ पैसा मेरे पास बकाया था जिसे वह मुझसे बार-बार मांगता रहता था और इस समय मेरे पास पैसे नहीं थे जिस कारण मैं पैसा वापस नहीं कर पा रहा था। इसी बीच मैं जब भी किसी मकान बनाने का ठेका लेता था तो बाबर जाकर ग्राहक को भड़का देता था और कहता था कि काम करना है तो मुझे कमीशन देना होगा, जब मुझे जानकारी हुई कि आज बाबर गोलघर कचहरी के पास साइट पर ढलईया करा रहा है तो मैं भी वहां पहुंच कर बाबर से पूछा कि मैं जहां भी काम लेने का प्रयास करता हूं तुम उसे भड़का देते हो इसी बात पर हम दोनों की कहा-सुनी होने लगी तो मैने गुस्से में आकर पास में पड़े बल्ली से बाबर के ऊपर वार कर दिया, जिससे बाबर लहू लुहान होकर वहीं गिर गया और मैं वहां से भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सोहराब आलम पुत्र मो0 सुलेमान निवासी-एन 13/32 ए-आर-6 सराय सुरजन बजरडीहा,थाना भेलूपुर वाराणसी, उम्र करीब 33 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
2. उ0नि0 पवन पाठक थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
3. उ0नि0 आयुष पाण्डेय थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
4. हे0का0 बृज बिहारी ओझा थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
5. का0 सचिन मिश्रा थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी

क्राइम ब्रान्च वाराणसी-

1. उ0नि0 गौरव सिंह

सर्विलान्स सेल वाराणसी-

1. हे0का0 दिवाकर वत्स

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी